बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना, दिनांक.........

सं०सं०:-एम-4-48/2012(खंड-I)................./ बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 80 की उपधारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार वित्त नियमावली का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली के नियम 131ख में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम 131ख के विद्यमान प्रावधान को नियम 131ख के उपनियम (i) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपनियम (ii) जोड़ा जायेगा:-

"(ii) यदि किसी एजेन्सी से Turn Key Basis पर कार्य लिया जाता है तो उस एजेन्सी के लिए, कार्य हेतु आवश्यक मात्रा के 15% कच्चे माल का क्रय (राज्य सरकार/राज्य क्रय संगठन/उद्योग विभाग द्वारा चिन्हित सामग्री/कच्चा माल के लिए) राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों से करना आज्ञापक होगा । तद्नुसार शर्त्तें निविदा में अधिकथित की जायेंगी ।"

3. उक्त नियमावली के नियम 131द के उपनियम (xii) के बाद एक परंतुक जोड़ा जाना ।- उक्त नियमावली के नियम 131द के उपनियम (xii) के बाद निम्नलिखित एक परंतुक जोड़ा जायेगा :-

"परंतु यदि बोली के दौरान राज्य में पंजीकृत औद्योगिक इकाई/इकाईयाँ भी भाग ले रही हों तो क्रेता विभाग राज्य में पंजीकृत इकाईयों को अधिमानता देगा, जिन्होंने बोली में न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोलीकर्त्ता से 15% अधिक तक की बोली लगाई हो, के प्रत्युत्तरदायी पाये जाने पर तथा उनके सहमत होने की दशा में न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोलीकर्त्ता (Lowest responsive bidder) द्वारा लगाई गई बोली की दर पर (at the rate of lowest responsive bid) अधिकतम 15% मात्रा के लिए क्रयादेश निर्गत किया जा सकेगा । ऐसी आपूर्त्ति के लिए गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं समय सीमा की शर्त्तों में कोई शिथिलता नहीं दी जायेगी ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजीव हंस)
सचिव (व्यय)

Pramod/sec-4/1

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)................/वि०   पटना, दिनांक...............

प्रतिलिपिः- प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(संजीव हंस)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)......1308..../वि०   पटना, दिनांक 7/2/14

प्रतिलिपिः- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

(संजीव हंस)

सचिव (व्यय)

Pramod/sec-4/2